नम्बर ... अह्द... जो हुक्म की तामील में जारी हुए

(5)

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0/146/2018

सुरेश चन्द पुत्र प्रभू जाति जाट निवासी ग्रांम अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर

.......प्रार्थी0

बनाम

1–प्रभू पुत्र नत्थी
2– उमेश पुत्र प्रभू
3–रामरती पत्नी उमेशचन्द } जाति जाट निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर
4–सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

.......अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरुद्ध पीठासी अधिकारी नीरज कुमार मीणा सहायक कलक्टर नदबई बाबत दावा एवं टी.आई. प्रा. पत्र सुरेशचन्द बनाम प्रभू वगे0

उपस्थित :–
1–श्री मोहनसिंह राना, अभिभाषक प्रार्थी,
2–श्री हेमराज शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी.

निर्णय **दिनांक 24.1.2019**

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि एक दावा एवं प्रार्थना पत्र टी.आई. उनवानी सुरेशचन्द बनाम प्रभू वगे. सहायक कलक्टर नदबई के यहॉ विचाराधीन है। सहायक कलक्टर नदबई का पद रिक्त होने से विचाराधीन प्रकरणों की सुनवाई उपखण्ड अधिकारी नदबई कर रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 2 सेन्ट्रल सी. आई.डी. में इन्सपेक्टर के पद पर कार्यरत है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने पद का हौदा दिखाते हुये कहा कि मेरी पहुंच है, पीठासीन अधिकारी से मेरी वार्ता हो गई है। दावा का फैसला हमारे पक्ष होगा। पीठासीन अधिकारी प्रकरण में नजदीकी तारीख पेशी देकर प्रकरण में दिलचस्पी ले रहे हैं। प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सहायक कलेक्टर नदबई के न्यायालय में विचाराधीन दावा एवं प्रार्थना पत्र को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। सहायक कलक्टर नदबई से टिप्पणी तलब की गई। सहायक कलक्टर नदबई से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। उन्हे सुना गया।

सहायक कलक्टर नदबई ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये आरोपों को मनगढन्त बेबुनियाद बताया है, तथा प्रकरण को किसी भी न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने पर उन्हें आपत्ति नहीं है अंकित किया है। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष प्रकरण को

..........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

किसी भी न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत हैं। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान की सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। सहायक कलक्टर नदबई के न्यायालय में विचाराधीन दावा एवं प्रार्थना पत्र टी.आई. उनवानी सुरेशचन्द बनाम प्रभू वगै. को सहायक कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है। उभय पक्षकारान सहायक कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में दिनांक 21.2.2019 को उपस्थित हों। निर्णय की प्रति सहायक कलक्टर नदबई एवं सहायक कलक्टर भरतपुर को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 24—1—2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ आरुषी मलिक)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web ... Official
Scanned by CamScanner